2. तिलहन विकास निदेशालय
तिलहन भवन, हिमायत नगर
हैदराबाद-500029
3. पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवा के
केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म आरे मिल्क
कालोनी बम्बई-400065
4. आहार विश्लेषण प्रयोगशाला
मार्फत केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म
आरे मिल्क कालोनी, बम्बई-400065
5. यादृच्छिक नमूना परीक्षण एकक
मार्फत केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म
आरे मिल्क कालोनी बम्बई-400065
6. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म,
धामरोड, पी.ओ. धामरोड
जिला सूरत (गुजरात)

[संख्या 3-24/86-हिंदी नीति]
जगदीश प्रसाद, निदेशक (राजभाषा)

New Delhi, the 13th December, 1988

S.O. 3767.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Agriculture (Deptt. of Agri. & Coopn.), the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Random Sample Laying Test Unit,
Hessargatta, Bangalore North.
2. Directorate of Oilseeds Development,
Telhan Bhavan, Himayat Nagar,
Hyderabad-500029.
3. Animal Quarantine & Certification Service Station,
c/o Centre Poultry Breeding Farm,
Aarae Milk Colony,
Bombay, 400065.
4. Feed Analytical Laboratory,
c/o Central Poultry Breeding Farm,
Aarae Milk Colony,
Bombay-400065.
5. Random Sample Laying Test Unit,
c/o Central Poultry Breeding Farm,
Aarae Milk Colony,
Bombay-400065.
6. Central Cattle Breeding Farm,
Dham Road, P.O. Dham Road,
Distt. Surat (Gujarat).

[No. 3-24/86-H.N.]
JAGDISH PRASAD, Director (OL)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1988

धर्मार्थ निधि अधिनियम, 1890 के मामले में

और

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के मामले में

का.आ. 3768.—जबकि भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 25 जून, 1962 के सं. एस.ओ. 1955 में भारत सरकार की अधिसूचना के साथ प्रकाशित योजना के अनुसरण में लागू किए जाने के लिए भारत के धर्मार्थ निधि के कोषाध्यक्षों को इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति को सौंपने के लिए केन्द्रीय सरकार से आवेदन किया गया है।

अब, अतः, धर्मार्थ निधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के खंड-4 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और ऊपर निर्दिष्ट आवेदन पर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त सम्पत्ति भारत की धर्मार्थ निधि के कोषाध्यक्ष के नाम होगी और यह निर्देश देती है कि उक्त सम्पत्ति तथा तत्संबंधी आय उक्त योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू होगी।

अनुसूची

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की ओर से 5 वर्षीय डाकखाना समयबद्ध जमा लेखे में निवेश की गई 1,25,00,000/- रु. की राशि, यह जमा राशि 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर सहित 8 अगस्त 1988 से प्रभावी है, और जो 8 अगस्त, 1993 को पुनर्देय होगी।

[सं. एफ. 9-2/88-एन.एफ.टी.डब्ल्यू.]
सुखदीप बरार, उप-सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 29th November, 1988

In the matter of Charitable Endowments Act, 1890

AND

In the matter of the National Foundation for Teachers' Welfare.

S.O. 3768.—Whereas an application has been made to the Central Government for vesting the property specified in the Schedule appended hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be applied in accordance with the Scheme published with the notification of the Government of India in the late Miinstry of Education No. S.O. 1955 dated the 25th June, 1962.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and on the application as aforesaid, the Central Government hereby directs that the said property shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and directs that the said property and the income thereof shall be applied in accordance with the terms set out in the aforesaid Scheme.

SCHEDULE

A sum of Rs. 1,25,00,000 (Rupees one crore and twenty five lakhs only) invested on behalf of the National Foundation for Teachers' Welfare in 5-Year Post Office Time Deposit Account, the deposit being effective from the 8th August, 1988 repayable on the 8th August, 1993, with interest at the rate of 11% per annum.

[No. F-9-2/88-NFTW]
SUKHDEEP BRAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1988

का.आ. 3769.—इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50) की धारा-32 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के प्रावधान, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की संविधि-23 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए गठित सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन-एवं-उपदान योजना और अंशदायी भविष्य निधि-एवं उपदान योजना पर लागू होंगे।

[सं. एफ. 5-65/88-यू. (डेस्क)]
अमियनाथ सिंह, निदेशक

New Delhi, the 7th December, 1988

S.O. 3769.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (50 of 1985), the Central Government

hereby declares that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) shall apply to the General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Schemes and the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme constituted by the Indira Gandhi National Open Universtiy for the benefit of its employees under Statute 23 of the Indira Gandhi Open Universtiy Act, 1985.

[No. F. 5—65/88-U.I. (Desk)]
ABHIMANYU SINGH, Director

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1988

का.आ. 3770.—चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली 1983 के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, हैदराबाद की अपर क्षेत्रीय अधिकारी, श्रीमती के. रत्नप्रभा के 4-12-88 से 28-12-88 तक छुट्टी पर रहने के कारण उनकी अनुपस्थिति में अपर क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, हैदराबाद के पद का कार्य-भार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हैदराबाद के अधीक्षण पुरातत्वविद, श्री ए.पी. सागर को सहर्ष सौंपती है।

[801/44/87-एफ.सी.]

(Department of Culture)

New Delhi, the 8th December, 1988

S.O. 3770.—In exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with Rule 9 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government is pleased to assign the work of Addit onal Regional Officer, Central Board of Film Certification at Hyderabad to Shri A. P. Sagar, Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Hyderabad, during the absence on leave of Smt. K. Ratnaprabha, Additional Regional Officer, from 4-12-88 to 28-12-88.

[801/44/87-FC]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1988

का.आ. 3771.—चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार बंबई में फिल्मों की जांच का कार्य श्री एस.के. हरनाहल्ली, प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को तत्काल से अगले आदेशों तक के लिए सौंपती है।

[801/41/87-एफ.सी.]
भास्कर चटर्जी, उप सचिव

New Delhi, the 13th December, 1988

S.O. 3771.—In exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with Rule 9 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government is pleased to assign, with immediate effect and till further orders, the work of examination of films at Bombay, to Shri S. A. Harnahalli, Administrative Officer, Central Board of Film Certification.

[801/41/87-FC]
BHASKAR CHATTERJEE, Dy. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1988

का.आ. 3772.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम-10 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारि-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

1. मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड का दिल्ली स्थित कार्यालय।
2. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड का दिल्ली स्थित कार्यालय।

[सं. ई. 11011 (1)/88-हिन्दी]

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 3rd October, 1988

S.O. 3772.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language, (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices whereof the staff have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Metal Scrap Trade Corporation Ltd., New Delhi.
2. Kudremukh Iron Ore Company Ltd., New Delhi.

[No. E-11011(1)/88-Hindi]

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1988

का.आ. 3773.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम-10 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (केन्द्रीय विपणन संगठन) पश्चिमी क्षेत्रों का कार्यालय, एक्सप्रेस टॉवर, 9वीं मंजिल, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-400021 को, जिनके कर्मचारि-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं. ई.-11011/(1)/88-हिन्दी]
मनमोहन श्रीवास्तव, उप सचिव

New Delhi, the 13th October, 1988

S.O. 3773.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies Steel Authority of India Limited, (Central Marketing Organisation) Western Region Office, Express Towers, 9th Floor, Nariman Point, Bombay-400021 whereof the staff have acquired working knowledge of Hindi.

[No. E-11011(1)/88-Hindi]
M. M. SRIVASTAVA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1988

का.आ. 3774.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, उस्मानिया विश्वविद्यालय, से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद		
मास्टर ऑफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)	एम.एस. (जनरल सर्जरी)	
मास्टर ऑफ सर्जरी (ऑर्थोपेडिक सर्जरी)]	एम.एस. (ऑर्थोपेडिक सर्जरी)	

टिप्पणी :—उपर्युक्त अर्हता सब, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अर्हता होगी, जब गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद में प्रशिक्षित विद्यार्थियों को उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त की गई होगी।"

[सं. यू.-11015/46/88-एम.ई. (पी.)]
एस. कौशिकन, अवर सचिव